CHRI 2007

www.humanrightsinitiative.org

पुलिस की गैररीतियाँ

मानक पुलिस प्रक्रिया

व पुलिस द्वारा उस

की अनदेखी के

कुछ सामान्य उदाहरण

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए कार्यरत

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, गैर-राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यादेश कॉमनवेल्थ के देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक धरातल पर साकार रूप देना है ।1987 में कॉमनवेल्थ के कई संघो ने मिल कर सीएचआरआई की स्थापना की थी । उनकी मान्यता थी कि जहां कॉमवेल्थ ने सदस्यों देशों को काम करने के लिए साझा मूल्य संहिता और कानूनी सिद्धांत और मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, वहीं दूसरी और कॉमनवेल्थ के भीतर मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं रहा है ।

कॉमनवेल्थ के हरारे सिद्धांतो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र तथा अन्य अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानवाधिकार दस्तावेजों के साथ-साथ कॉमनवेल्थ के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों को समर्थन देने वाले घरेलू दस्तावेजो के प्रति जागरुकता तथा पालना को बढ़ाना सीएचआरआई के उद्देश्य है।

अपने प्रतिवेदनों तथा नियतकालिक जांचो के जरिए सीएचआरआई कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों की प्रगति और उन के उल्लंघन की ओर निरंतर ध्यान आकार्षित करता है । मानवाधिकारी के उल्लंघनों की रोकथाम करने के लिए पद्धतियों और उपायों हेतु पैरवी करते हुए सीएचआरआई कॉमनवेल्थ सचिवालय, सदस्य सरकारों तथा नागरिक समाज के संघो को संबोधित करता है। अपने जन शिक्षण कार्यक्रमो, नीतिगत संवादो, तुलनात्मक अध्ययन, पैरवी और नेटवर्किंग के जरिए सीएचआरआई का समूचा रूख अपनी प्राथमिकता के मुद्दों के गिर्द एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने का है ।

सीएचआरआई के प्रायोजक सगठनो* की प्राकृति इसे अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति बनाने और एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में काम करने में समर्थ बनाती है । ये पेशेवर संगठन स्वयं अपने काम में मानवाधिकार मानदंडों का समावेश कर सार्वजनिक नीति को भी दिशा दे सकते है और मानवाधिकारों संबंधी सूचनाओं, मानदंडों और व्यवहारों के प्रसार के वाहकों के रूप में काम कर सकते है । ये समूह अपने साथ स्थानीय ज्ञान भी लाते है, नीति निर्माताओं तक पहुंच बना सकते है, मुद्दों को उभार सकते है और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए साथ मिल कर काम कर सकते है ।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थित है और लंदन, यूके, आक्रा, घाना में इसके कार्यालय है ।

अंतर्राष्टीय सलाहकार समिति : सैम ओकुडजेटो-अध्यक्ष, सदस्यः युनिस ब्रूकमैन-अमीसाह, मरे बर्ट,ज्यां कॉर्स्टोन, माया दारुवाला, एलिसन डक्सबरी, निहाल जयविक्रम,बी.जी. वर्गीस, ज़ोहरा युसुफ, बर्नडेट गनिलाऊ ।

कार्यकारी समिति : बी. जी. वर्गीस- अध्यक्ष, माया दारूवाला- निर्देशक । सदस्यः के एस. ढिल्लों, आर.वी पिल्लें, अनु आगा, डॉ. बी.के चन्द्रशेखर, भगवान दास, हरिवंश, संजय हजारिका, पूनम मुट्टरेजा, प्रो. मूलचंद शर्मा, जस्टिस रूमा पाल, नितिन देसाई ।

न्यासी समिति : निहाल जयविक्रमा-अध्यक्ष, सदस्यः मीनाक्षी घर, ऑस्टिन डेविस, डेरेक इंग्राम, नेविल लिंटन, कॉलिन निकोलस, लिंडसे रॉस, पीटर स्लिन, एलिएज़ाबेथ स्मिथ ।

*कॉमनवेल्थ पत्रकार संघ, कॉमनवेल्थ अधिवक्ता संघ, कॉमवेल्थ विधिक शिक्षा संघ, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ।

डिजाइन लेआउट व आभार - वेंकटेश नायक, शोभा शर्मा , प्रकाश ओझा

रेखांकन : सुरेशकुमार **मुद्रक** : विशाल ग्राफीक, वडोदरा.

ISBN : 81-88205-42-7

कॉपिराईट सी.एच.आर.आई. नवी दिल्ही, मार्च 2007

इस रपट की सामग्री को स्रोत का उल्लेख करते हुए ईस्तेमाल किया जा सकता है ।

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव

सीएचआरआई मुख्यालय
बी-117 प्रथम तल,
सर्वोदय एन्क्लेव,
नई दिल्ही-110017 भारत
फोन :+91-11-2685-0523, 2686-4678
फेक्स : +91-11-2686-4688
ईमेल : chriall@nda.vsnl.net.in

सीएचआरआई लंडन कार्यालय
C/o. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टड़ीज
28, रसील स्क्वेयर,
लंडन WC 1B 5DS, UK
फोन : +44-020-7-862-8857
फेक्स : +44-020-7-862-8820
ईमेल : chri@sas.ac.uk

सीएचआरआई आफ्रिका कार्यालय
मकान नं. ९, सामोरा मिशैल मार्ग,
बेवरली हिल्स् हॉटल के सामने,
नज़दीक ट्रस्ट टावर्स, असायलम डाक्तन,
फोन : +233-21-683068, 69,70
फेक्स : +233-21-683062
ईमेल : chriafrial@yahoo.com

वेबसाइट : www.humanrightsinitiative.org

पुलिस की गैररीतियाँ

मानक पुलिस प्रक्रिया व पुलिस द्वारा उस की अनदेखी के कुछ सामान्य उदाहरण

लेखन (मूल अंग्रेज़ी संस्करण)
नवाज कोटवाल

अनुवाद
अनिरुद्ध मित्तल

संपादन (मूल अंग्रेज़ी संस्करण)
माया दारुवाला

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव
२००७

विषयवस्तु

१. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.).....१

२. अपराधों के प्रकार.....३

३. एफ.आई.आर. से जुड़ी लापरवाहियाँ.....६

४. जाँच (तफ़्तीश).....७

५. पंचनामा.....८

६. शवपरीक्षा.....१०

७. घटना स्थल की जाँच (तफ़्तीश).....१३

८. केस डायरी.....१५

९. तफ़्तीश से जुडी लापरवाहियाँ.....१९

१०. गवाहों से पूछताछ.....२०

११. तलाशी.....२२

१२. तलाशी वॉरंट.....२४

१३. गिरफ़्तारी.....२८

१४. आरोपी से पूछताछ.....३१

१५. ज़मानत.....३२

१६. आरोप-पत्र.....३६

१७. अंतिम रिपोर्ट.....३८

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)

एफ.आई.आर. क्या है

- किसी भी घटना के बारे में पुलिस को पहले-पहल मिलने वाली जानकारी एफ.आई.आर. कहलाती है
- इसे पीड़ित व्यक्ति, गवाह, पुलिस कर्मी अथवा अन्य किसी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो दर्ज करवा सकता है
- एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने पर पुलिस की ज़िम्मेदारी हो जाती है, कि वह मामले की पूरी छानबीन करें

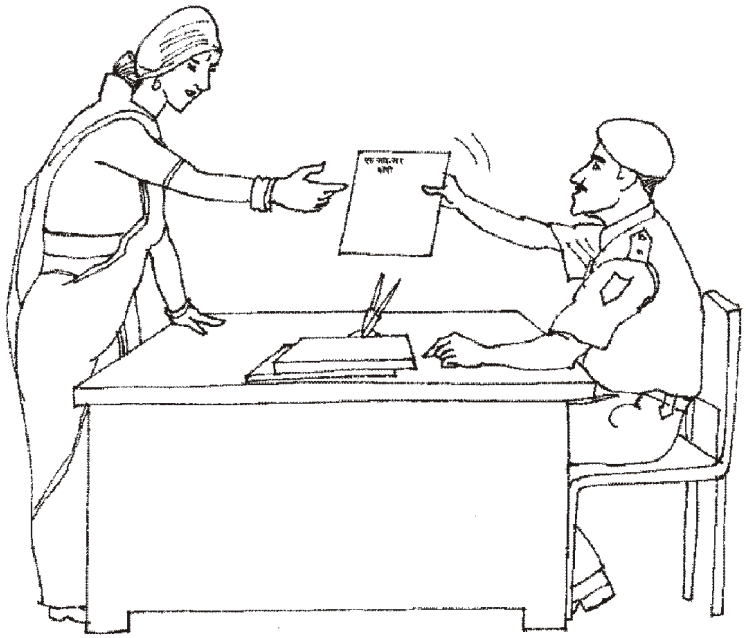

प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफ.आई.आर. की प्रक्रिया

- यदि आप किसी अपराध से पीड़ित है अथवा उस के गवाह है, तो आप उस की जानकारी लिखित रूप में निकटतम थाने के थाना प्रभारी को कर सकते है
- यदि आप लिख कर नहीं दे सकते, तो उन्हें जुबानी बता सकते है। जिसे उस पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट के रूप में लिखा जाना चाहिये
- पुलिस अधिकारी उस लिखित जानकारी को पढ़ कर आप को सुनाएगा ।
- उस रिपोर्ट पर आप के दस्तख़त लिए जाएंगे
- एफ.आई.आर. की एक प्रति (कॉपी) आप को बिना किसी शुल्क (फ़ीस) के दी जाएगी
- उस रिपोर्ट को थाने के रजिस्टर (स्टेशन् हाउज़ डायरी) में दर्ज किया जाना चाहिए

अपराधों के प्रकार

संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध

संज्ञेय अपराध

- पुलिस इन अपराधों की जाँच, मैजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी शूरू कर सकती है
- यह गंभीर प्रकार के अपराध होते है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, दंगे, चोरी, डाका आदि

असंज्ञेय अपराध

- पुलिस इन अपराधों की जाँच मैजिस्ट्रेट के वारंट मिलने पर ही कर सकती है
- यह कम गंभीर अपराध होते है। उदाहरण के लिए झूठी गवाही देना, मानहानि, द्विविवाह, रिश्वत लेना आदि

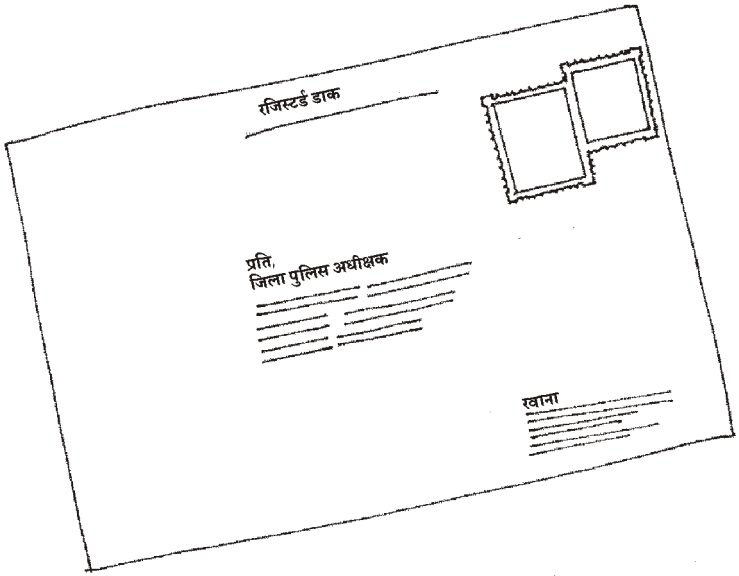

यदि पुलिस आप की शिकायत दर्ज करने से इन्कार करें तो

- आप **जिला पुलिस अधीक्षक** (एस.पी) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा यह सूचना भेज सकते है - जहाँ तक हो सकें डाक पावती (रसीदी रजिस्ट्री) के साथ ही भेजें
- यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के बारे में है तो **पुलिस अधीक्षक** (एस.पी) की ज़िम्मेदारी है कि वह मामले की पूरी-पूरी जाँच करें
- यदि **अधीक्षक** (एस.पी) भी कोई कार्यवाही नही करते है, तो आप मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर सकते है, जो आपकी सुनवाई शपथ दिलाकर करेंगे
- तब मैजिस्ट्रेट खुद या पुलिस द्वारा या फिर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मामले की जाँच करवा सकता है

एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने के बाद क्या होना चाहिए

एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने के बाद पुलिस अधिकारी को :

- उस की एक प्रति संबधित मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी जाहिए
- एफ.आई.आर.को बिना किसी देरी के, दर्ज होने के दिन ही, मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए
- चिकित्सा-कानूनी मामलों में पुलिस को अस्पताल में ही एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए
- यदि ऊपर लिखी गई किसी भी कार्यवाही में कमी रही हो, तो उस अधिकारी को ठोस कारणो का उल्लेख़ करना होगा । ऐसा नही करने पर मामले की सुनावाई पर गलत असर पड सकता है। क़ितु बहुत कुछ मामले के हालात पर भी निर्भर होता है

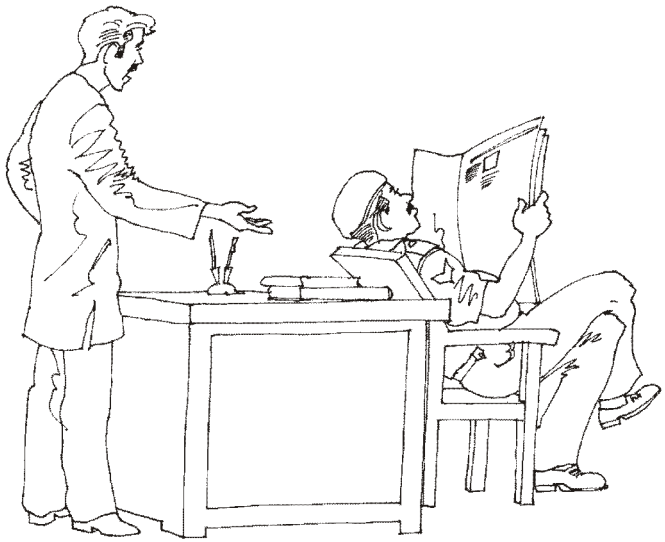

क्या होता है जब आप एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जाते है

पुलिस :

- आप की शिकायत दर्ज करने से इन्कार करती है
- आप की बात पर यक़ीन नहीं करती है
- शिकायत दर्ज करने के लिए आप से रिश्वत माँगती है
- आप को समझौता कर लेने को कहती है
- तथ्यों में फेरबदल करने की कोशिश करती है
- आप को कहती है कि यह असंज्ञेय मामला है।
- आप को कहती है कि एफ.आई.आर. पर दस्तख़त की ज़रुरत नहीं है
- आप को एफ.आई.आर. लिखने के पश्चात् पढ़कर नहीं सुनाती है
- आप को रिपोर्ट की कॉपी देने से इन्कार करती है
- रिपोर्ट को थाने के रिजस्टर में नहीं लिखती है

जाँच (तफ़्तीश)

अपराध की सूचना मिलते ही क्या होना चाहिए

पुलिस को :

- मामले के तथ्यों पर विचार करना चाहिए
- पंचो और मामले की जाँच से जुड़ें विशेषज्ञों को इकट्ठा करना चाहिए
- घटना स्थल पर पहुँचना चाहिए
- पंचनामे की कार्यवाही करनी चाहिए

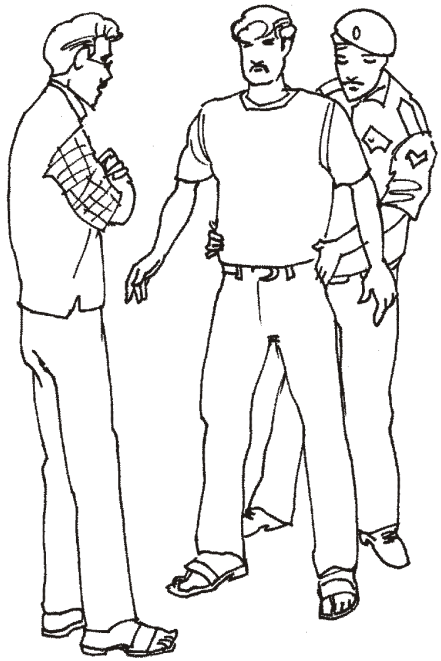

पंचनामा और वह कब किया जाता है

पंचो के सामने निम्न स्थितियों में पुलिस द्वारा पंचनामा किया जाना जरूरी है

- हत्या (मौत) से जुड़े मामलों में
- तलाशी के समय जहाँ बरामद की गई चीज़ो को जब्त करना हो

पंच :

- पंच, समाज के कोई भी स्वतंत्र, निष्पक्ष, सम्मानित व मामले से न जुड़े हुए लोग हो सकते है, जो कि पुलिस पक्ष की कार्यवाही के सत्यापन के लिए घटना स्थल पर बुलाए जाते हैं

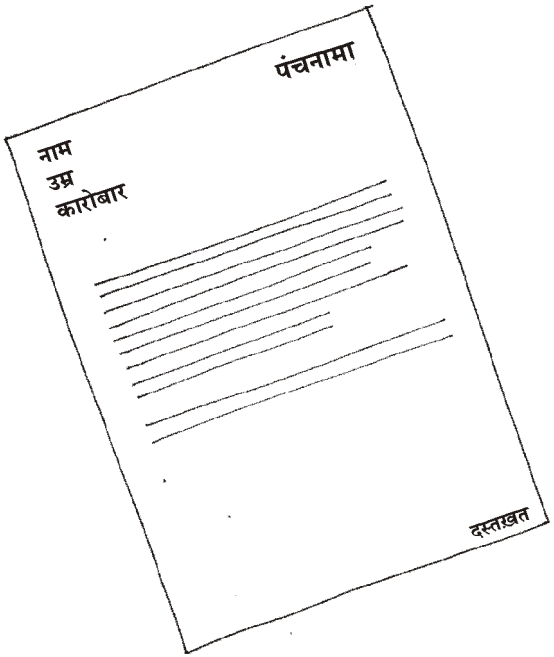

पंचनामा क्या होता है

पंचनामा :

- पंचों की देख-रेख में हुए कार्यवाही का रिकार्ड (दस्तावेज़) है
- इस की शुरुआत पंचों के नाम, पते, उम्र व कारोबार के ज़िक्र से होती है
- इस में पंचनामा किए जाने के कारण और घटना स्थल की परिस्थितियों का ब्योरा होता है
- इसे लिखने के बाद पंचो के दस्तख़त लिए जाते हैं
- पंचनामे में कार्यवाही के शरू और ख़त्म होने के दिन व समय का भी स्पष्ट रूप से ज़िक्र होना चाहिए

शवपरीक्षा

क्या है

- हत्या या संदेहास्पद के मामलों में पंचनामा हो जाने के बाद मृत्यु का कारण जानने के लिए लाश का शवपरीक्षा के लिए भेजा जाता है
- सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी ही लाश को शवपरीक्षा के लिए भेज सकता है

शवपरीक्षा तब की जाती है :

- जब मृत्यु संदेहास्पद व अप्राकृतिक परिस्थितियो में हुई हो और मौत का कारण भी साफ़-साफ़ मालूम न हो रहा हो
- जब मालूम करना हो कि यह मौत, हत्या है या आत्महत्या अथवा दुर्घटना के कारण हुई है

शवपरीक्षा की रिपोर्ट में उल्लेख होगा कि :

- मौत किस समय हुई
- मरने वाला आदमी था या औरत
- मौत का कारण क्या है

शवपरीक्षा कैसे होनी चाहिए

- केवल एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर ही पुलिस से लिखित आदेश मिलने पर शवपरीक्षा कर सकता है
- वह डॉक्टर, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे काम न कर रहा है
- लाश को परीक्षा के लिए लेते समय चिकित्सा अधिकारी को उस की रसीद देनी चाहिए

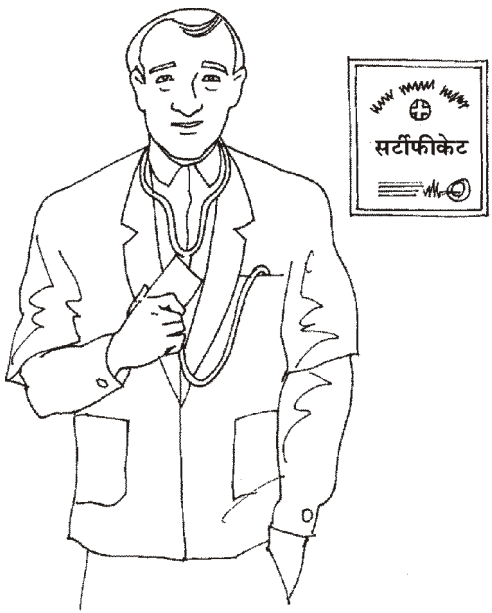

शवपरीक्षा

चिकित्सा अधिकारी की ज़िम्मेदारियाँ

चिकित्सा अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि :

- वह लाश पर सभी भीतरी और बाहरी चोटों का ब्यौरा दें
- शरीर में पाई गई किसी भी बाहरी वस्तु का ब्यौरा दें
- उस बाहरी वस्तु को सँभाल कर रखें
- रिपोर्ट की एक प्रति थाने में भेजें
- मौत के कारण बताते हुए रिपोर्ट की प्रति **जिला पुलिस अधीक्षक** (एस.पी.) को भी भेंजे

पुलिस व चिकित्सा अधिकारी साझे तौर पर शवपरीक्षा के लिए ज़िम्मेदार होते है
शवपरीक्षा के बाद लाश को रिश्तेदारों को सौंप देनी चाहिए

आमतौर पर शवपरीक्षा कैसे की जाती है

ज्यादातर शवरीक्षाएँ :

- घटना स्थल पर ही की जाती है
- कंपाउंडर या अन्य जो डॉक्टर नहीं है, ऐसे लोगों द्वारा करवाई जाती है
- बहुत ही कम समय में निपटा दी जाती है
- पूर्ण रूप से जांच किए बगैर आधी आधूरी छोड दी जाती है
- जाँच के बाद शव को ठीक से सीया नहीं जाता

जाँच

घटना स्थल पर

पुलिस को चाहिए कि :

- उन गवाहों को इकट्ठा करे जिन्हें अपराध की जानकारी हो सकती है
- घटना स्थल की तस्वीरें ले
- वहाँ पर आरोपी के हाथों व पैरों के निशानों की खोज करें
- जाँच में सहायता के लिए विशेषज्ञों को बुलाए
- हत्या, डकैती व लूटपाट आदि के मामलों में खोजी कुत्तों की मदद लें
- घटना स्थल का नक़्शा बनाए

घटना स्थल पर

पुलिस को चाहिए कि :

- सबुतों को इकट्ठा करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी सबूत नष्ट न हो
- घटना स्थल को सील कर दें
- बरामद की गई सभी चीज़ों को मुद्दामाल बही (रजिस्टर) में दर्ज करें
- घायलों को प्राथमिक इलाज देने की कोशिश करें
- मृतक या मृतकों की लाशों को शवपरीक्षा के लिए भेजें
- तफ़्तीश से जुड़ी सभी जानकारियों को केस डायरी में सिलसिलेवार दर्ज करें

केस डायरी

क्या है

केस डायरी :

- तफ़्तीश से जुड़ी सभी जानकारियों का; जाँच अधिकारी के अपने हाथों लिखा हुआ, सिलसिलेवार ब्यौरा है
- इसे क़ायदे से रोज़बरोज़ लिखा जाना चाहिए
- इसे की मूल प्रति नियमित रूप से अपने उच्च अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए
- उच्च अधिकारी की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह डायरी के ज़रिये मामले की प्रगति पर नजर रखें और ज़रूरत पड़ने पर उचित सलाह दें

केस डायरी में क्या होता है

केस डायरी में :

- क्रमवार अंकित पेज लगे होते है
- घटना की सूचना मिलने का समय दिया होता है
- तफ़्तीश कब शुरू हुई और उस को पूरी होनें में कितना समय लगा
- जाँच अधिकारी को कहाँ - कहाँ जाना पड़ा
- सभी देखी और सुनी गई वातों का विवरण होना चाहिए
- मामले की जाँच से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों के नाम

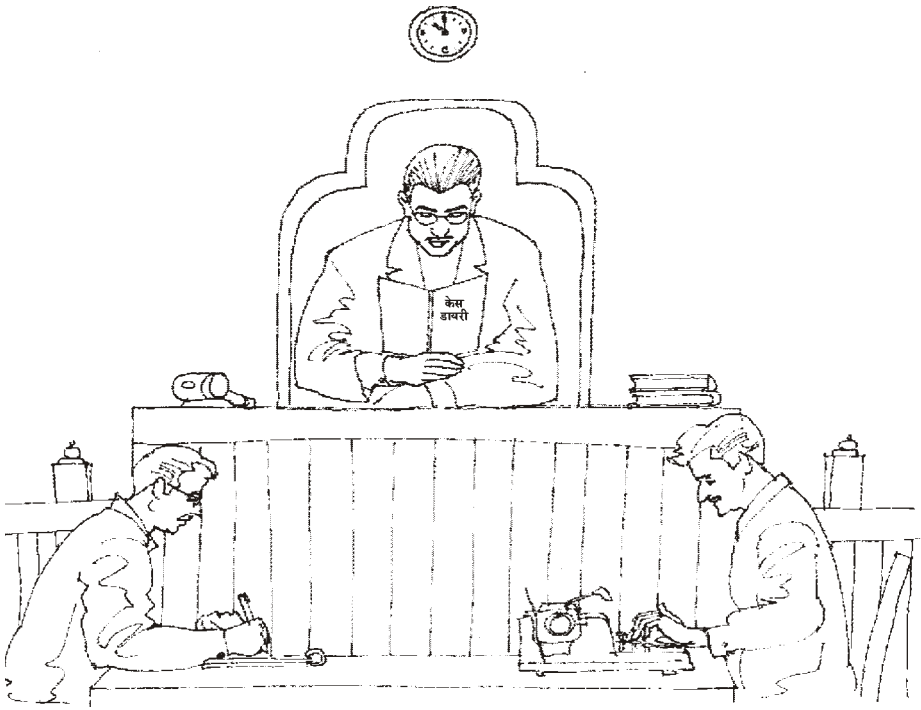

केस डायरी का इस्तेमाल किन कामों के लिए नहीं हो सकता

- शिकायतकर्ता या आरोपी को केस डायरी की कॉपी पाने का अधिकार नहीं है
- अदालत में सुनवाई के समय केवल जाँच अधिकारी ही अपनी याद्दाश्त ताजा करने के लिए इस का ईस्तेमाल कर सकता है
- इस का अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किंतु अदालत सुनवाई में मदद के लिए इस को मँगवा सकती है

केस डायरी का इस्तेमाल किन कामों के लिए हो सकता है

केस डायरी को अदालत निन्न कारणों के लिए मँगवा सकती है :

- यह देखने के लिए की मामले की तफ़्तीश सही ढंग से की गई है या नहीं
- उन गवाहों को बुलाने के लिए जिन्हें की अभियोग पक्ष ने पेश करने की माँग नहीं की है
- मामले की सुनवाई से जुड़े अन्य तथ्यों को रिकार्ड पर लाने के लिए जिनसे फ़ैसले में मदद् मिल सकती हो

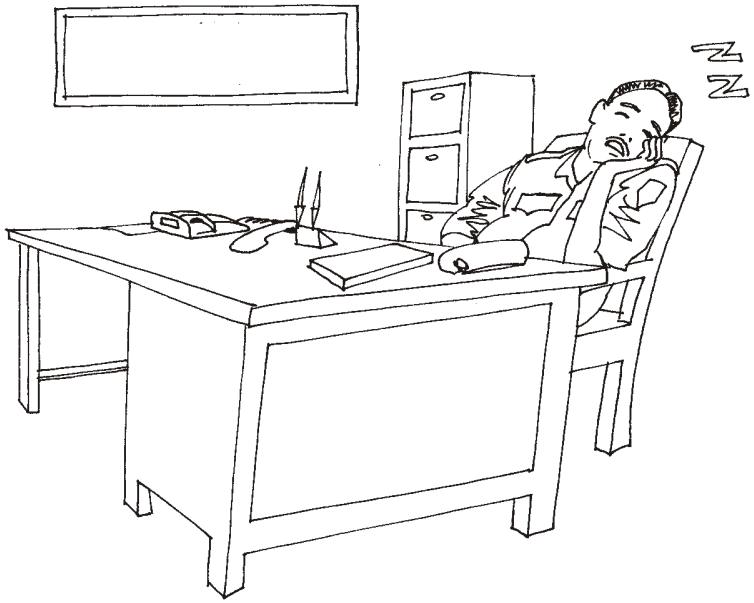

तफ़्तीश से जुड़ी लापरवाहियाँ

आमतौर पर क्या होता है

आमतौर पर पुलिस :

- घटना स्थल पर देर से पहुँचती है
- घटना स्थल की घेराबंदी और सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती
- नियमानुसार पंचनामे की कार्यवाही ठीक-ठीक नहीं करती
- घटना स्थल से बरामद की गई चीज़ों को मुद्दामाल बही (रजिस्टर) में दर्ज नहीं करती
- बरामद की गइ चीज़ों को सील नहीं करती । जिस कारण सुनवाई के समय अदालत बरामदगी को पुख्ता नहीं मान सकती और आरोपियों को दोषमुक्त कर देती है
- बरामद की गई चीज़ों को समय से जाँच के लिए नहीं भेजती जिस के कारण महत्वपूर्ण सबूत खराब होकर नष्ट हो जाते है

गवाहों से पूछताछ

क्यों, किस के द्वारा, कहाँ और कैसे

गवाह कोई अपराधी **नहीं** है - वह तो जाँच में पुलिस की मदद कर रहा है

क्यों :

- घटना से जुड़े सबूत जुटाने के लिए

किस के द्वारा :

- जाँच अधिकारी के द्वारा
- हैड- कांस्टेबल से कम पद का पुलिस वाला, गवाह से पूछताछ नहीं कर सकता

कहाँ :

- गवाह के घर पर या लिखित रूप से आदेश दे कर, गवाह को थाने पर बुला कर
- महिलाओं और १५ साल से छोटे बच्चों से; उन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ; पूछताछ केवल उन के घर पर ही की जानी चाहिए

कैसे :

- गवाहों से पूछताछ घटना के बाद जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ-साथ यादें भी धुंधली होती जाती है
- उन से पूरे विस्तार से पूछताछ करनी चाहिए
- उन का बयान उन के ही शब्दों में लिखा जाना चाहिए
- बयान देने के लिए पुलिस उन को कोई भी लालच, आश्वासन या धमकी नहीं दें सकती
- बयान पर गवाह के दस्तख़त नहीं लिए जा सकते

तलाशी

तलाशी की खुली छूट नहीं है

पुलिस को किसी भी जगह या व्यक्ति की तलाशी लेने की खुली छूट नहीं है। तलाशी का काम पूरे नियम क़ायदे से ही किया जा सकता है । बिना विशेष कारण के तलाशी नहीं ली जा सकती

लेकिन

अदालत से **वॉरंट ले कर** या **बिना किसी वॉरंट** के भी पुलिस तलाशी लें सकती है यदि :

- जाँच अधिकारी को यह यक़ीन हो कि उसे जिस भी चीज़ को तलाश है वह तलाशी की जगह पर मिलेगी
- या फिर उसे यदि तुरंत हासिल कर लेना बेहद जरूरी है

तलाशी कैसे ली जानी चाहिए

कानून के तहत तलाशी की खुली छूट नहीं है
अतः जाँच अधिकारी के लिए जरूरी है, कि :

- वह साफ़-साफ़ बतलाए कि, उसे किन चीज़ों की तलाश है
- वह तलाशी के कारणों को भी लिखित रूप में दर्ज करें
- इन सभी बातों को अदालत के समक्ष रख कर, उस से तलाशी का वॉरंट प्राप्त करें

तलाशी वॉरंट

क्या क्या होना चाहिए

- पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम
- तलाशी की जगह का पूरा ब्यौरा
- तलाशी की वजह
- जाँच अधिकारी को ज़रूरत के मुताबिक दल-बल के साथ तलाशी की जगह में प्रवेश और वहाँ से अपराध से जुड़ी चीज़ों को बरामद करने का अधिकार देने का अदालती आदेश
- वॉरंट के जारी किए जाने की तारीख
- जारी करने वाली अदालत की मोहर और मैजिस्ट्रेट के दस्तख़त भी होने चाहिए

तलाशी

कार्यवाही कैसे की जानी चाहिए

पुलिस अधिकारी को :

१) तलाशी-वॉरंट की एक प्रति जगह के मालिक को देनी चाहिए

२) तलाशी शुरु करने से पहले पड़ोस के दो या अधिक निष्पक्ष लोगों को तलाशी के गवाह के रूप में बुला लेना चाहिए

३) तलाशी गवाहों की मौजूदगी में की जानी चाहिए

४) बरामद की गई सभी चीज़ों की सूची बना कर, उस पर गवाहों के दस्तख़त लेने चाहिए

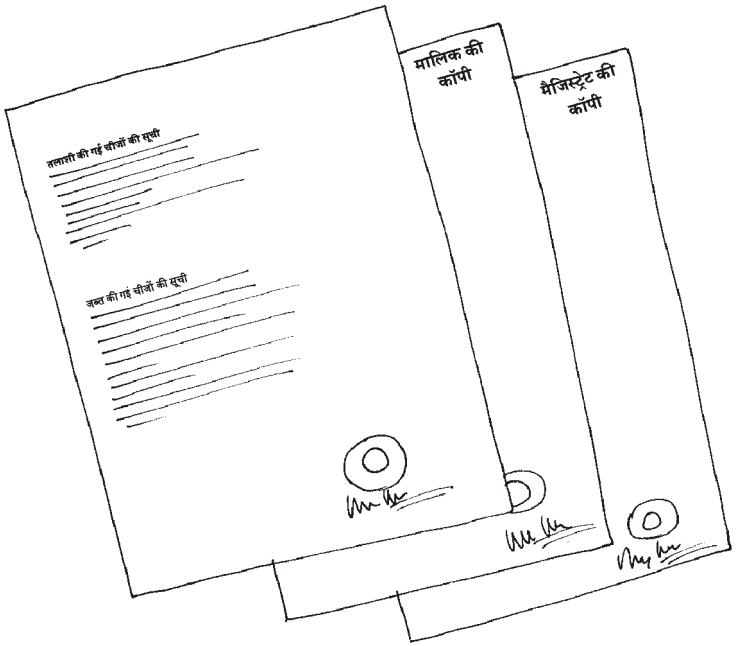

पुलिस अधिकारी को :

५) जगह के मालिक को तलाशी के समय वहाँ मौजूद रहने देना चाहिए

६) मालिक को तलाश और ज़ब्त की गई चीजों की सूची की प्रति देनी चाहिए

७) सूर्यास्त से पहेले ही तलाशी लेनी चाहिए

८) यदि तलाशी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है, तो ऐसा करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए

९) ज़ब्त की गई चीज़ों की रपट मैजिस्ट्रेट को तलाशी के दिन ही देनी चाहिए

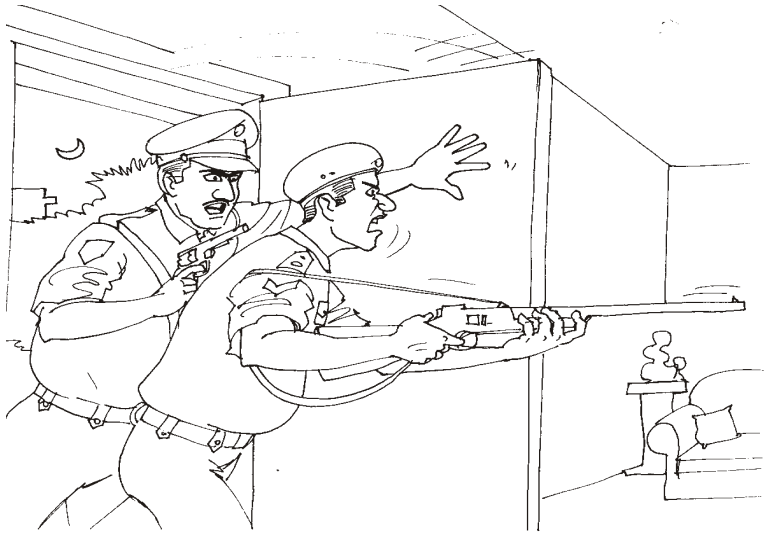

तलाशी और बरामदगी

पुलिस आमतौर पर क्या करती है

तलाशी के समय पुलिस आमतौर पर :

- गैर जरूरी दल-बल के साथ आप के घर में घुस आती है
- आप को तलाशी-वॉरंट नहीं दिखलाती है
- गवाहों को नहीं बुलाया जाता है
- मकान मालिक को वहाँ नहीं रहने देती है
- तलाश और ज़ब्त की गई चीज़ों की सूची नहीं बनाती है और कई बार नगदी और अन्य क़ीमती चीज़ों को पुलिस तलाशी के दौरान उठा ले जाती है
- मकान मालिक को तलाश और ज़ब्त की गई चीज़ों की सूची नही देती है
- कभी-कभी घटना स्थल पर झूठे सबूत भी रख देती है
- आधी रात को तलाशी का काम करती है

गिरफ़्तारी
क्या होना चाहिए

पुलिस को चाहिए कि :

- गिरफ़्तारी के समय व्यक्ति को तुरंत बतलाए कि उसे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है (गिरफ़्तारी के कारण)
- गिरफ़्तार व्यक्ति को वकील की सलाह लेने, और अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका दें
- गिरफ़्तार व्यक्ति को २४ घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करें
- यदि व्यक्ति को ज़मानती आरोप के लिए गिरफ़्तार किया गया हो तो उसे बताए की उसकी ज़मानत हो सकती है
- गिरफ़्तार व्यक्ति के किसी मित्र या रिश्तेदार को उस की गिरफ़्तारी की ख़बर दें कर, उसे बाकायदा थाने की डायरी में दर्ज करें
- गिरफ़्तारी के कारणों को भी थाने की डायरी में दर्ज करें

- गिरफ़्तार व्यक्ति को हथकड़ी न पहनाएं
- गवाहों के सामने ही गिरफ़्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाए
- यदि गिरफ़्तार व्यक्ति के पास कोई हथियार पाया जाता है तो उसे पंचनामा में दर्ज करने के बाद ज़ब्त करें
- यदि गिरफ़्तार व्यक्ति को कोई चोट आई हो तो उसे इलाज के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास भेजें
- किसी धार्मिक स्थान से कोई गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती

लेकिन आमतौर पर होता क्या है

गिरफ़्तारी के समय पुलिस अक्सर :

- जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करती है
- व्यक्ति को गिरफ़्तारी की वजह नहीं बताती है
- गिरफ़्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगाती है
- गिरफ़्तार व्यक्ति २४ घंटे के अंदर अदालत में पेश नहीं किया जाता है
- उस की गिरफ़्तारी को तुरंत ही दर्ज नहीं करती है
- गिरफ़्तारी को बाद की तारीख में दिखा कर झूठी तारीख के २४ घंटो के अंदर गिरफ़्तार व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाता है
- गिरफ़्तार व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदारों को सूचित नहीं किया जाता

आरोपी से पूछताछ

पूछताछ के समय आरोपी के अधिकार

जब आप से पूछताछ हो रही हो, तब :

- आप को मारा, पीटा या किसी भी प्रकार से डराया धमकाया नहीं जा सकता
- आप अपने वकील के सामने ही पूछताछ किए जाने की माँग कर सकते है
- आप अपने खिलाफ़ जाने वाले सवालों का जवाब देने से इन्कार कर सकते हैं
- आप के साथ किसी क़िस्म की मार-पीट नहीं की गई, इस बात की पुष्टी के लिए डाक्टरी जाँच करानी चाहिए

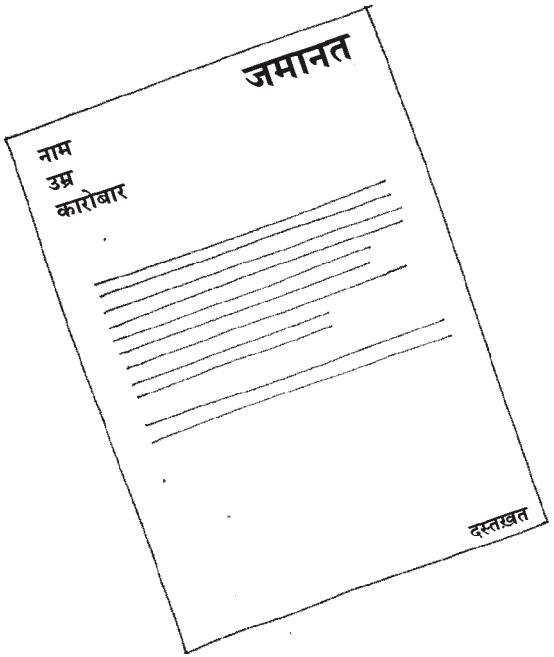

ज़मानत

क्या हैं

ज़मानत का मतलब है :

- गिरफ़्तार व्यक्ति की सशर्त रिहाई
- इस प्रकार रिहा हुए आरोपी को बुलाए जाने पर अदालत या पुलिस के सामने हाज़िर होना होगा
- उसे अदालत द्वारा लगाए गए सभी शर्तों का पालन करना होगा

क्या ज़मानत एक अधिकार है ?

- हाँ कुछ परिस्थितियों में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति पर लगाए गए आरोप, ज़मानती है या गैर-ज़मानती

ज़मानती अपराध

क्या हैं

- कम गंभीर प्रकार के अपराध जैसे कि रिश्वत लेना, झूठी गवाही देना आदि

यदि आप को ज़मानती अपराध में गिरफ़्तार किया गया हो तो :

- पुलिस अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह आप को बताए कि इस आरोप में आप को ज़मानत पर छूटने का अधिकार है
- आप को गिरफ़्तारी के तुरंत बाद ज़मानत पर रिहाई का अधिकार होता है
- आप ज़मानत राशि या उस के बिना भी अदालत में हाजिर होने का शपथपत्र देने पर रिहा किए जा सकते है
- आप को अदालत को यह यक़िन दिलाना होगा की आप लंबे समय से उस इलके के निवासी हैं और रिहा किए जाने पर फ़रार नहीं हो जाएँगे और
- आप समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना ज़ामिन बना सकते है, जो आप के फ़रार न होने की गारंटी देता है और अगर ऐसा हुआ तो एक निश्चित रक़म अदालत में जमा करने का वचन देता है

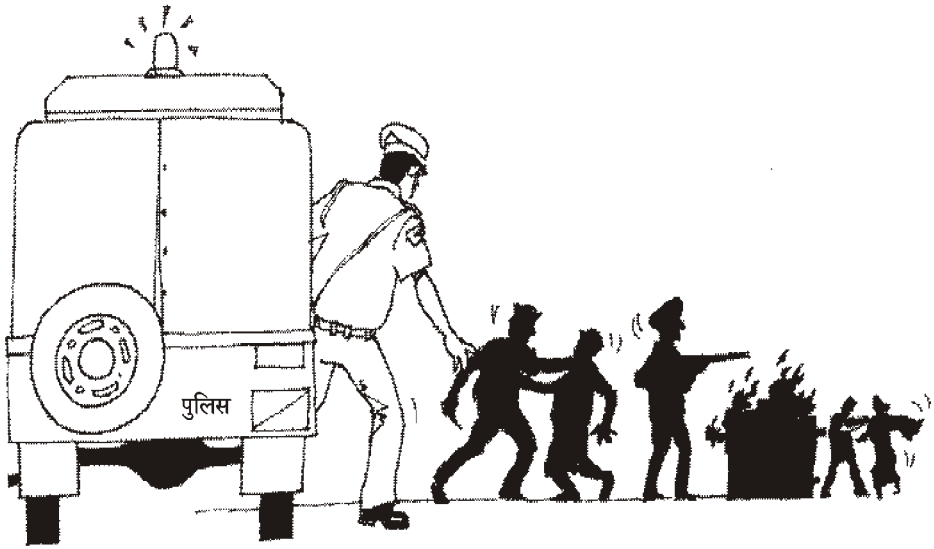

गैर-ज़मानती अपराध

क्या है

- जिन आरोपों के लिए तीन साल या उस से अधिक सजा का विधान है उन्हें गैर-ज़मानती अपराध माना जाता है । जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती आदि
- गैर-ज़मानती अपराधों के लिए ज़मानत एक अधिकार नहीं बल्कि एक प्रकार की अनुकंपा है
- इन मामलों में केवल अदालत के आदेश पर ही ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है

ज़मानत की अर्जी कैसे करें

- आप को अदालत में ज़मानत के लिए अर्जी करनी होगी
- उस के बाद ज़मानत के लिए सुनावाई होगी
- अदालत में अभियोग पक्ष का वकील :
  १. ज़मानत के विरुद्ध दलील कर सकता है कि आप की ज़मानत होने पर आप सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हो या फिर गवाहों को धमका सकते हो
  २. कुछ शर्तों पर आप की ज़मानत के लिए राज़ी हो सकता है
- उस के विरुद्ध में आप का वकील दलील देगा कि :
  १. आप पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है
  २. आप की समाज में गहरी जडें है और ज़मानत पर छूट जाने पर आप फ़रार नहीं होगें
  ३. आप ज़मानत के लिए अदालत की सभी शर्तों का पालन करने का वचन देते है

ज़मानत मंजूर करने के आधार

ज़मानत का फैसला लेने में अदालत निम्न बातों का विचार करेंगी

- अपराध की गंभीरता
- ज़मानत पर रिहा किए जाने पर, आप फरार तो नहीं हो जाएगें
- ज़मानत पर रिहा किए जाने पर आप सबूतों के साथ छेडछाड़ तो नही करेंगे

ज़मानत के लिए अदालत आप पर क्या शर्तें लगा सकती है

- आप से नियमित अंतराल पर थाने में हाज़िरी देने के लिए कहा जा सकता है
- आप पूछताछ में पुलिस को सहयोग देंगे
- आप सुनवाई के लिए अदालत में हाज़िर होंगे
- आप देश छोड़कर नहीं जायेंगे और अपना पासपोर्ट थाने में जमा करवाएंगे

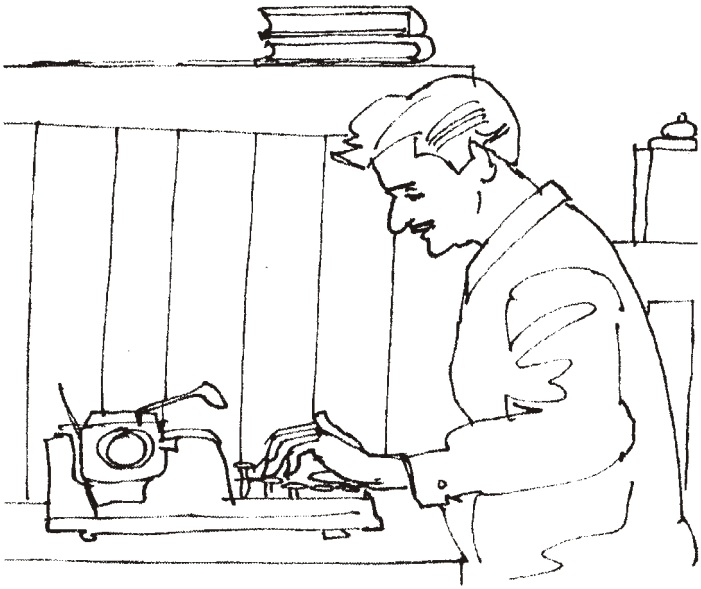

आरोप-पत्र
जांच का पूरा ब्यौरा

तफ्तीश पूरी हो जाने पर :

- अभियोग पक्ष के वकील द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है
  या
- मामले की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है

अभियोग पक्ष और बचाव पक्ष के दलीलें सुनने के बाद :

- अदालत आरोप पत्र को खारिज कर आरोपी को दोष मुक्त करार कर सकती है
  या
- आरोप पत्र को मंजूर कर मामले की सुनावाई का आदेश दे सकती है

आरोप पत्र

इस में होता है

- आरोपियों के नाम व पते
- उनकी गिरफ़्तारी का दिन समय और स्थान
- गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम
- आरोपी ज़मानत पर छूटा है या नहीं - इस बारे में जानकारी
- फ़रार आरोपी के नाम व पते (लाल स्याही में)
- जब्त किया गया सामान और मुद्दामाल की सूची
- गवाहों के नाम व पते
- आरोप या गुनाह की जानकारी, अपराध का कानूनी नाम और कानून की धारायें जिनके अंदर मामला बनाया गया है

आरोप पत्र के साथ क्या होना चाहिए

- आरोपी-यदि वह हिरासत में हो
- यदि उसकी ज़मानत हो गयी हो तो उसका शपथ पत्र
- आरोपियों की कोई भी पहचान करने योग्य निशान
- एफ.आई.आर. की प्रति
- मामले से जुडे सभी दस्तावेज़ जिनका इस्तेमाल अभियोग पक्ष सुनवाई में करना चाहता है
- गवाहो के लिखे गए बयान
- सबूत के रूप में ज़ब्त किए गए हथ्यार व अन्य चीज़ें

अंतिम रीपोर्ट
कब दाखिल की जाती है

अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है :

- जब आरोपी पर पर्याप्त सबूत के अभाव में मुकदमा न चलाया जा सकता हो
- जब आरोपी के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता हो, और उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत न हो
- जब मामला तो बनता हो लेकिन आरोपियों की पहचान न की जा सकी हो

ऐसे में अदालत क्या कर सकती है

जब अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश की जाती है तब :

- अदालत उसे स्वीकार कर मामले को खत्म कर, आरोपियों को मुक्त कर सकती है
- या अदालत उसे खारिज कर, पुलिस को मामले की जाँच जारी रखने को कह सकती है
- या आरोप लगाते हुए, मामले की सुनवाई शुरु कर सकती है

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सीएआरआई का आधार यह मान्यता है कि मानवाधिकार सच्चा लोकतंत्र और विकास लोगों के जीवन में तभी चरितार्थ होंगे जब कॉमनवेल्थ और इसके सदस्य देशो में जवाबदेही और भागीदारी के ऊंचे मानदंड और सक्रिय व्यवस्थाए होंगी । इसलिए और साथ ही एक व्यापक मानवधिकार पैरवी कार्यक्रम के रूप में सीएचआरआई शोध, प्रकाशनों, कार्यशालाओं सूचना प्रसार तथा पैरवी कर्म के ज़रिए सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की पैरवी करता है।

मानवाधिकारों की पैरवी :
सीएचआरआई मानवाधिकारों की पैरवी के लिए आधिकारिक कॉमनवेल्थ संस्थाओं और सदस्य सरकारों को नियमित रूप से अपने दस्तावेज़ सौंपता है । सीएचआरआई समय-समय पर तथ्यान्वेषी मिशन गठित करता है और 1995 के बाद नाइज़ीरिया, ज़ांबिया, फिज़ी द्वीप समूह और सियरा लियोन में मिशन भेज चुका है । सीएचआरआई कॉमनवेल्थ मानवाधिकार नेटवर्क में समन्वय बनाने का काम भी करता है । यह नेटवर्क मानवाधिकारों की पैरवी के लिए सामूहिक शक्ति निर्मित करने हेतु विविध समूहों को एक मंच पर लाता है । सीएचआरआई की मीडिया यूनिट सुनिश्चित करती है कि मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे जन चेतना का अंग बनें ।

सूचना तक पहुंच

सूचना का अधिकार : सीएचआरआई नागरिक समाज और सरकारों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, एक मजबूत कानून के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता के केन्द्र के रूप में काम करता है और भागीदारों को अच्छे व्यवहारों को कार्यान्वित करने में सहयोग देता है । सीएचआरआई सरकार और नागरिक समाज का क्षमता निर्माण और साथ ही नीति निर्माताओं के साथ पैरवी करता हुआ स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहयोगिता में काम करता है । सीएचआरआई दक्षिण एशिया में सक्रिय है । हाल ही में इसने भारत में एक राष्ट्रीय कानून के लिए चलाए गए सफल अभियान को समर्थन दिया है । सीएचआरआई अफ्रिका में कानूनी प्रारूप लेखन में समर्थन और अन्य सहयोग देता है, प्रशांत क्षेत्र में यह सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले कानून में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता है ।

संविधानवाद : सीएचआरआई की मान्यता है कि संविधान लोगों द्वारा बनाए और अपनाए जाने चाहिए और उसने एक परामर्शपरक प्रक्रिया के जरिए संविधान बनाने और उनकी समीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए है । सीएचआरआई जन शिक्षण के जरिए संवैधानिक अधिकारों के ज्ञान को बढ़ावा देता है और इसने कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन के लिए वेब-आधारित मानवाधिकार मॉड्यूल विकसित किया है । चुनावों से पहले सीएचआरआई ने चुनावों की निगरानी करने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाने का विरोध करने, मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रतिनिधियों के कार्य-प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नागरिक समूहों के नेटवर्क निर्मित किए है।

न्याय तक पहुंच

पुलिस सुधार : बहुत सारे देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रखवालों की बजाय राज्य के एक आक्रामक औजार के रूप में देखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा लोंगो को न्याय से वंचित रखा जाता है । सीएचआरआई व्यवस्था में सुधारों को बढ़ावा दैता है ताकि पुलिस वर्तमान शासन व्यवस्था के उपकरण की बजाय कानून के शासन को बरकरार रखने वाली संस्था के रूप में काम करें । भारत में सीएचआरआई के कार्यक्रमों का लक्ष्य पुलिस सुधारों के लिए जन समर्थन जुटाना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सीएचआरआई पुलिस की जवाबदेही से संबंधित मुद्दों और राजनीतिक हस्तेक्षेप की जांच-पड़ताल कर रहा है ।

जेल सुधार : जेलों की बंद प्रकृति उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघनों का मुख्य केन्द्र बना देती है । सीएचआरआई का उद्देश्य है कि लगभग निष्क्रिय पड़ी दौरा व्यवस्था को फिर से सक्रिय बना कर जेलों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोला जाए ।

न्यायिक संगोष्ठियां : इंटरराइट्स (INTERRIGHTS) की सहभागिता में सीएचआरआई ने न्याय तक पहुंच विशेषकर समुदाय के सीमांत वर्गो के लिए, से संबंधित मुद्दों पर दक्षिण एशिया में न्यायाधीशो के लिए संगंष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की है ।

पुलिस, आपराधिक न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है; जिस से कानून के दायरे में रह कर काम करने की आशा की जाती है । आपराधिक न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पुलिस, अभियोग पक्ष तथा न्यायालय के लिए स्थापित कानून एवं तत्संबंधित प्रक्रियाओं की कमज़ोरी और मजबूती पर निर्भर रहती है। पुलिस; राज्य व्यवस्था का वह अंग है; जिस पर मूल रूप से कानूनों के अनुपालन व राज्य और उस के नागरिकों की, अपराधों से रक्षा का उत्तरदायित्व रहता है । अनुपालन का अर्थ है; कानूनों के आपराधिक उल्लंघन के होते ही उस का सज्ञान ले कर, मामले के तथ्यों की जानकारी जुटाना, अपराधियों को हिरासत में लेकर दंड प्रक्रिया के तहत उन्हें अदालत के समक्ष पेश करना, जहाँ अदालत उसके सामने लाए गए सबूतो के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर, यह निर्णय करेंगी कि आरोपी दोषी है या नहीं । यदि आरोपी को दोषी पाया जाता है तो उसे दंड विधान के अनुसार सज़ा का आदेश, उसे ऊपर की अदालतों में अपील के पर्याप्त अवसर देते हुए सुनाएँगी ।

नागरिक के रूप में हमें, पुलिस के साथ विभिन्न प्रकार के अनुभव होते है । पुलिस सभी नागरिको की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है और इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उसे कुछ अधिकार व शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । लेकिन इस का यह अर्थ हर्गिज़ नहीं है कि पुलिस क़ायदे कानूनों से ऊपर है । वास्तव में तो वह कानून से बँधी हुई है और उसे कानून के दायरे में रह कर ही काम करना चाहिए । अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस को मिले अधिकारों का वह दुरुपयोग न करे हमें पुलिस के सम्मुख अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है ।

यह पुस्तिका, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के विषय में है । आशा है कि, यह पुस्तिका उन नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जो न्यायिक प्रक्रिया से परिचित होना चाहते है, तथा उन लोगों के लिए भी जिन का पुलिस से वास्ता पड़ता रहता है ।

कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटिव

9,नंदीग्राम एपार्टमेन्ट, 52/1, अरुणोदय सोसायटी,
अलकापुरी, वडोदरा-390 005 फोन : (0265) 2322784

बी-117, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव,नई दिल्ही - 110017, भारत
फोन : 91-11-2685-0523; 2686- 4678 फेक्स : 91-11-2686-4688
ई-मेलः chriall@nda.vsnl.net.in
वेब साईट : www.humanrightsinitiative.org